



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 445 राँची, मंगलवार,

1 अगस्त, 2023 (ई०)

उद्योग विभाग

संकल्प

28 जुलाई 2023

विषय:- झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान का विस्तारीकरण के संबंध में ।

संख्या- 442--उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के जापांक-2329 दिनांक-18.08.2017 द्वारा झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के विनियमन-2016 में मेगा उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को भूमि मूल्य ब्याज रहित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भुगतान करने की छूट दी गयी थी। तदनुसार जियाडा विनियमन-2016 की कंडिका-6 (d) (v) & 6 (d) (vii) में इसे समावेशित करते हुए जियाडा विनियमन-2016 की कंडिका-6 (d) (ix) में इस प्रावधान को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से पाँच वर्षों तक के लिये प्रावधानित किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 17.08.2022 को समाप्त हो चुकी है ।

झारखण्ड राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जियाडा विनियमन-2016 की कंडिका-6 (d) (v) & 6 (d) (vii) में अभिलिखित प्रावधान को दिनांक- 25.07.2023 के मद संख्या-24 में मंत्रिपरिषद के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आगामी 5 (पाँच) वर्षों के लिए अधिसूचना निर्गमन की तिथि से विस्तारित किया जाता है ।

2. संकल्प संख्या-2329 दिनांक-18.08.2017 की अन्य कंडिकायें यथावत रहेंगी ।

3. संशोधित प्रावधान इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-25.07.2023 की बैठक के मद संख्या-24 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

प्रस्ताव:- एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए इसकी प्रति झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसे सभी विभागों/विभागाध्यक्षों और अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच परिचालित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(जितेन्द्र कुमार सिंह),

सरकार के सचिव ।
